न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 277 / 2003

आरसीएमएम नं. :— 2003 / 00036

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार / राजस्व / तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मूलाराम
2. मोहर सिंह

} पिसरान इमरताराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 11.03.2003, प्र. सं. 104 / 2002
अनवान मूलाराम आदि बनाम सरकार

उपस्थितिः—

श्री राजेश कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय   दिनांक 23.6.22

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपील [illegible] चलाया जा सकता है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना [illegible] है। [illegible] शीर्षक में अधीनस्थ न्यायालय का प्र0 सं0 सहवन से 423 / 2003 [illegible] निर्णय की [illegible] पंति के अनुसार प्र0 सं0 104 / 2003 है जो अपील [illegible] शीर्षक में दुरूस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद पेश किया जिमसें कथन कियाकि ग्राम भिरानी के पुराने शामलाती ख0 नं0 118, 290 495, 535, 580, 602 तथा चौसाला के ख. नं. 347, 341, 340, 351 में करीब 100 बिघा पुरानी कब्जे काश्त की भूमि थी जो नये खसरा व किला में दर्ज हो गई। लेकिन परिवर्तन के समय खसरा नं. 552 की गलत तौर सिवाय चक नाकाबिल काश्त दर्ज हो गई। वादी ने उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। इसलिए राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गैर मु0 पायतन एवं सिवाय चक नाकाबिल काश्त है जिसे आवंटित नहीं किया जा सकता है। प्रश्गनत भूमि पर रेस्पोडेण्ट का संवत 2012 से कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में जिरह का मौका नहीं दिया गया ना ही वाद मे कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। रेस्पोडेण्ट ने वाद पत्र बिना धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत नोटिस दिये पेश किया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:51 IST
Reason: SelfAttested

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है।लेकिन अपील में अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति अपील पत्रावली में संलग्न है। इस निर्णय में प्रश्गनत भूमि ग्राम भिरानी के ख0 नं0

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 277/2003

आरसीएमएस नं. :– 2003/00036

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मूलाराम
2. मोहर सिंह

} पिसरान इमरताराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 11.03.2003, प्र. सं. 104/2002 अनवान मूलाराम आदि बनाम सरकार

रूबरू हाजिर श्री राजेश कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2003 निरस्त किये जाते हैं।

डिक्री आज दिनांक दिनांक 23.6.22 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर सुनाई गई।

23/6/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:51 IST
Reason: SelfAttested